during 1992-93, 1993-94 and 1994-95 in Bombay region;

(b) the amount obtained from Bombay (Sahar and Santacruz), Ahmedabad, Baroda, Bhavnagar, Rajkot, Nagpur, Aurangabad, Panji, Bhopal, Indore, Raipur and Poona;

(c) if so, the details thereof, airport-wise during the said period; and

(d) whether the amount collected is utilised for the maintenance of the concerned airports?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) to (c) The annual income collected by way of Airport Entry Ticket charges from Bombay region, airport-wise, during the year 1992-93, 1993-94, and 1994-95 is as under:

Rs. in lakhs

Name of the Airport	1992-93	1993-94	1994-95
Bombay Sahar	1.50	1.30	27.25
Santacruz	6.98	5.52	11.06
Ahmedabad	16.11	13.97	15.10
Baroda	—	—	—
Bhavnagar	0.52	0.52	0.67
Rajkot	1.56	2.05	2,83
Nagpur	0.65	1.14	1.62
Aurangabad	—	0.21	0.70
Panji	1.14	3.30	6.48
Bhopal	—	—	—
Indore	0.47	3.00	3,58
Raipur	0.06	0.15	0.25
Poona	0.85	0.98	1.18
Total	29.84	32.14	70.72

(d) Yes, Sir.

Expert panel for telecast of Weekend feature films

1552. SHRI SHIV CHARAN SINGH: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether there is any expert panel to decide feature films and language thereof, to be telecast on DD on weekends;

(b) if so, the details of its composition, methodology, members, duties and functions etc; and

(c) whether Government propose to amend the same?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) Two Hindi feature films and one regional film are telecast on national network of DD over the weekends on Fridays, Saturdays and Sundays.

Offers for Hindi feature films are received from National Film Development Corporation or private producers on sponsorship basis for a minimum guarantee of advertising revenue against a given Free Commercial Time. Arrangements with National Film Development Corporation are through an agreement whereas offers from private producers are received on first-come-first serve basis subject to condition that the films offered by them are found suitable for family view-

ing and the offer meets the requirements of minimum guarantee of advertising revenue as per prevailing market.

Regarding Regional films, these are telecast alphabetically languague-wise by rotation as per the eligibility criteria. In a particular language, a film produced later get priority in sloting.

Only those films certified as 'U' by the Censor Board are accepted for telecast. These are further previewed by in-house committees to ensure their suitability for family viewing.

In view of above, there is no expert panel to decide feature films.

(b) and (c) Do not arise.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की घाटे में चल रही शाखाएं

1553. **श्री एस०एस० सुरजेवाला:**
श्री अजीत जोगी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बैंकवार कितनी शाखाएं घाटे में चल रही है;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान इन शाखाओं को बैंकवार कितना घाटा हुआ है;

(ग) उसके क्या कारण है;

(घ) इन बैंकों में घाटे को रोकने और इन्हें लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) वर्ष 1995-96 के दौरान मुनाफा कमाने वाले बैंकों का प्रत्येक बैंक द्वारा कमाए गए मुनाफे की राशि सहित ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि दिनांक 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की घाटा उठाने वाली शाखाओं से संबंधित (नवीनतम उपलब्ध) जानकारी विवरण-I में दी गई (नीचे देखिए)

(ग) शाखाओं के घाटा उठाने के मुख्य कारण ये हैं:—

(i) शाखा में किए जाने वाले कारोबार (अर्थात जमाराशियों और अग्रिमों) की कम मात्रा।

(ii) प्रतिकूल विभिन्न प्रकार की जमाराशियां जिसके परिणामस्वरूप जमाराशियों की उच्च लागत।

(iii) अनिष्पादित परिसंपत्तियों का उच्च स्तर।

(iv) अवरूद्ध या गिरता कारोबार और कारोबार का लाभ अलाभ स्तर से नीचे होना।

(v) कुल अग्रिमों की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों (निम्न ब्याज आय देने वाले डीआरआई अग्रिमों सहित) का उच्च अनुपात।

(घ) घाटों को रोकने और ऐसी शाखाओं को लाभप्रद बनाने के लिए बैंकों द्वारा उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदम निम्नानुसार है:—

(i) बैंकों से अपनी घाटा उठाने वाली शाखाओं के बारे में समीक्षा नोट तैयार करने और उन्हें बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

(ii) घाटा उठाने वाली प्रत्येक शाखा को बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में तैयार की गई कार्य योजना के अन्तर्गत लाया जाता है, घाटे के कारणों का पता लगाया जाता है और उपचारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

(ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लाभ/हानि से संबंधित जानकारी विवरण-II में दी गई है।